



टा बाड भारत Tea Board India

14, बी.टी.एम.सरणी) ब्रबानराड (कोलकाता 700001

14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001

www.teaboard.gov.in

संदर्भ.सं 12(17)/एलसी/2008/पाटे-III/

दिनांक- 04.01.2022

आधसूचना

यह इस कार्यालय के परिपत्र संदर्भ संख्या 12(17)/एलसी/2008/भाग-III दिनांक 28 जनवरी, 2021 एवं 18 मई, 2021 के क्रम में क्रमश उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लिए चाय निमोण इकाइयां या विनिमोण इकाइयों की क्षमता में वृद्धि हेतु एनओसी और आरसी जारी करने के संबंध में है। मौजूदा दिशानिर्देशों के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न हितधारकों द्वारा कठिनाइयां व्यक्त की गई हैं। अतः उपरोक्त परिपत्र में उल्लिखित दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करने की मांग की गई है। 27 अक्टूबर, 2021 को कोलकाता में हुई बोर्ड की बैठक में भी इस मामले पर विस्तार से विचार किया गया है। बोर्ड द्वारा इस मामले की विस्तार से जांच की गई है और **नई विनिर्माण इकाइयों के त्वरित अनुमोदन और मौजूदा इकाइयों की क्षमता वृद्धि** के लिए निम्नलिखित योजना तैयार की गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

- क. आवेदक को चाय कारखाने की स्थापना से पहले टी बोर्ड से अनापूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन जमा करने के 15 कार्य दिवसों के भीतर टी बोर्ड द्वारा अनापूर्ति प्रमाण-पत्र प्रदान/अनुमोदित माना जाएगा, बशर्ते कि टी बोर्ड द्वारा कोई आपूर्ति/प्रश्न न उठाया गया हो।
- ख. मशीनरी लगाने आदि सिविल कार्य पूर्ण होने के बाद, आवेदक चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के प्रावधान के अनुसार अपनी इकाई के लिए अंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा। आवेदन जमा करने के 15 कार्य दिवसों के भीतर टी बोर्ड द्वारा आरसी प्रदान/अनुमोदित माना जाएगा, बशर्ते कि टी बोर्ड द्वारा कोई आपूर्ति/प्रश्न न उठाया गया हो।
- ग. आवेदन बोर्ड के egiccs पोर्टल <http://egiccs.teaboard.gov.in/> के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।
- घ. विनिमोण इकाई द्वारा लागू वार्षिक स्थापित क्षमता आवेदक द्वारा हरी पत्ती के स्वयं मूल्यांकन के आधार पर बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी और एनओसी और आरसी दोनों चरणों में आवेदन में घोषित की जाएगी। टी बोर्ड द्वारा अनुप्रयुक्त क्षमता के अनुमोदन के लिए हरी पत्ती का आगे कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आवेदक हर स्तर पर हरी पत्ती एवं तैयार चाय की गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करेगा।
- ङ. हालांकि, आरसी चरण पर लागू क्षमता अनिवार्य रूप से एनओसी चरण में लागू और स्वीकृत क्षमता के बराबर होगी।
- च. आवेदक को इस सीमा तक वचन दिया जाएगा कि केंद्र/राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत नया कारखाना स्थापित करने या मौजूदा इकाई की क्षमता के विस्तार के लिए उनके द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं ली जाएगी। केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त

करने के इच्छुक इकाइयों को परिपत्र संदर्भ संख्या 12(17)/एलसी/2008/भाग-III दिनांक 28 जनवरी, 2021 और 18 मई, 2021 में उल्लिखित टी बोर्ड की मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार एनओसी और आरसी के लिए आवेदन करना होगा। ।

- छ. बोर्ड किसी भी एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में एफएसएसएआई मानदंडों के अनुपालन के परीक्षण के लिए प्रत्येक विनिमोण इकाई से तिमाही आधार पर (एक इकाई के लिए एक वर्ष में कम से कम 4 नमूने) चाय के नमूने एकत्र करेगा। परीक्षण के लिए भुगतान बोर्ड के परिपत्र संदर्भ सं.12(26)/एलसी/2013/7111 दिनांक 16.08.2016 के अनुसार लिया जाएगा। ।
- ज. एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के गैर-अनुपालन के मामले में, विनिमोण इकाई चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र के निलंबन के लिए उत्तरदायी होगी।
- झ. यह प्रक्रिया 24 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी। इस अधिसूचना की तिथि से 23 जनवरी, 2022 तक नवीन कारखाने तथा विद्यमान इकाई की क्षमता वृद्धि से संबंधित कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- ञ. इस अधिसूचना से पहले प्रस्तुत किए गए सभी मौजूदा आवेदन एवं जिनको निपटाए नहीं गए इस अधिसूचना के अनुसार मौजूदा आवेदन को जारी रखने या नए आवेदन जमा करने की अपनी इच्छा व्यक्त करने का एक ऑनलाइन विकल्प दिया जाएगा। स्पष्टीकरण के रूप में बोर्ड द्वारा सम्मति शुरू की जाएगी एवं ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी।
- ट. यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि झूठी घोषणा/वचनबद्धता के आधार पर एनओसी/आरसी प्राप्त किया गया है, तो ऐसी एनओसी/आरसी रद्द कर दी जाएगी।

भवदीया,

**ह/-
(रजनीगंधा सील नस्कर)
अनुज्ञापन नियंत्रक**

एक नई चाय निर्माण इकाई की स्थापना और मौजूदा कारखाने की क्षमता वृद्धि के लिए आशय की अभिव्यक्ति (ईओएल) जमा करने के लिए आवेदन

	विवरण	टिप्पणी
1	आवेदक का नाम (मोटे अक्षरों में)	
2	पिन कोड सहित आवेदक का पता	
2A	ई-मेल आईडी	
2B	टेलिफोन व मोबाइल नम्बर	
3	प्रस्तावित निमोण इकाई का नाम व पता	
4	आवेदक की स्थिति	पब्लिक लिमिटेड/ प्राइवेट लिमिटेड/ साझेदारी/ स्वामित्व / सहकारित/ एसटीजी के एसएचजी
4A	कारखाना का प्रकार	संपदा*/ बॉट लौफ / सहकारिता/ एसटीजी के एसएचजी
4B	उत्पादित चाय का प्रकार	काली (सीटीसी/अथोडॉक्स)/ ग्रीन/ व्हाइट/ ओलॉग/ विशेष चाय जैसे हैंड रोल्ड टी
4C	मौजूदा कारखाने के मामले में आरसी संख्या	
4D	उत्पादन की वार्षिक क्षमता (किग्रा. में)	
5	जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची	
5A	*एस्टेट फैक्ट्री के मामले में, कृपया गार्डन के पक्ष में चाय बोर्ड की लाइसेंसिंग शाखा द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करें।	
5B	एक वचनबद्धता कि एक नया कारखाना स्थापित करने या मौजूदा इकाई की क्षमता के विस्तार के लिए केंद्र / राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत उनके द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं ली जाएगी।	

प्रमाणित किया जाता है कि मन/हमने चाय अधिनियम 1953, चाय (वपणन) नियंत्रण आदेश-2003, एफएसएसआई के प्रासंगिक नियम और विनियम और स्थानांतर, राज्य और केंद्र सरकार के अन्य विभागों द्वारा लगाए गए अन्य नियम और विनियमों को पढ़ और समझ लिया है। और म/हम, कारखाने का स्थापन के लिए अनुरोध प्राप्त करने के लिए सभी नियम और विनियमों का पालन करने का वचन देते हैं।

ताथ के साथ आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

अनापात्त पत्र (एनओसी) जारी करना:

अनापात्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), आवेदक को कारखाने के निमोण और सभी मशीनरी वस्तुओं की स्थापना को शुरू करने और पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए जारी किया जाएगा। एनओसी गारंटी नहीं देता है कि निमोण पूरा होने पर, आवेदक को टीएमसीओ के तहत पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, यदि बोर्ड की राय है कि कारखाने का निमोण निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करके किया गया है।

अनापात्त प्रमाणपत्र (एनआसा)

मिलिसंस :

दिनांक:

सेवा में,

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन दिनांक के संदर्भ में, एक नई चाय प्रसंस्करण इकाई / मौजूदा इकाई की क्षमता वृद्धि स्थापित करने के अपने इरादे को व्यक्त करते हुए: गांव पोस्ट : जिला :राज्य। , आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर, टी बोर्ड को आपके द्वारा एक नई चाय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना/मौजूदा चाय कारखाने की क्षमता में वृद्धि (एस्टेट/बीएलएफ/सहकारी/एसटीजी के एसएचजी) पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्तावित स्थापित क्षमता के साथ उपर्युक्त पते पर किलोग्राम प्रति वर्ष (नए कारखाने के लिए एनओसी के मामले में)/..... किलोग्राम से..... प्रतिवर्ष..

यह एनओसी आपके द्वारा नया कारखाना स्थापित करने/मौजूदा चाय कारखाने की क्षमता बढ़ाने के इरादे को पहचानने के लिए जारी किया गया है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यदि आप टी बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए शर्तों का पालन करने में विफल रहते हैं तो चाय कारखाने का पंजीकरण डिफॉल्ट रूप से दिया जाएगा।

यह अनापात्ति प्रमाणपत्र आवेदक को संबंधित भूमि और कारखाने के प्लॉट पर अधिकार के संबंध में कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। यह एनओसी आवेदक को स्थानीय/राज्य और केन्द्र सरकार से सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने से छूट नहीं देती है।

यह एनओसी जारी होने की तारीख से 12 महीने की अवधि के लिए वैध है ताकि आप कारखाने के निमोण और मशीनरी की स्थापना को पूरा कर सकें। गतिविधियों के पूरा होने पर आपको चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के तहत निर्धारित फॉर्म ए के अनुसार टीएमसीओ पंजीकरण के अनुदान के लिए टी बोर्ड को आवेदन करना होगा।

भवदीय,

फॉर्म-‘ए’

टीएमसीओ, 2003 के पैरा 3(2) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन

उपाध्यक्ष,
टीबोर्डे,
14, बी.टी.एम. सरणीi,
कोलकाता- 700 001.

महोदय,

म/हम चाय (वपणन) नियंत्रण, आदेश, 2003 के तहत चाय के नमूना और/या नमूना के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं। आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं	विवरण	टिप्पणी
1	आवेदक का नाम (मोटे अक्षरों में)	
2	पिन कोड सहित पता	
3	प्रसंस्करण इकाई का नाम	
3ए	प्रसंस्करण इकाई का पता	
3बी	फोन नं एवं ई-मेल आईडी	
4	उत्पादन की वार्षिक क्षमता	
5	स्थापना की तारीख के साथ स्थापित मशीनरी और उपकरणों की विस्तृत सूची	
6	यदि चाय प्रसंस्करण इकाई को एस्टेट फैक्ट्री के रूप में पंजीकृत किया जाना है, तो कृपया चाय बोर्ड के पंजीकरण संख्या के साथ चाय के अंतर्गत पंजीकृत क्षेत्र का उल्लेख करें। चाय बागान का नाम।	
7	जीएसटी सं. एफएसएसआई सं.	
8	Rs. 1,20,000/- की अनुज्ञापन शुल्क (लागू जीएसटी सहित) ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किया जाना है	

भवदीय,

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र ए क साथ जमा किए जान वाल दस्तावेज़ा का सूचा

<u>क्र.सं</u>	<u>दस्तावेज़</u>
1	<u>स्थापना की तारीख</u> के साथ <u>स्थापित मशीनरी</u> और <u>उपकरणों की विस्तृत सूची</u>
2	<u>कोई अन्य दस्तावेज़</u>

फॉर्म 'बी'

चाय के नमाता के रूप में व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र
अहस्तांतरणाय

चाय (वपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 3(4) के तहत जारी।

दिनांक:

चाय (वपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के प्रावधानों के तहत चाय के नमाण के व्यवसाय को चलाने के लिए
पंजीकरण संख्या का प्रमाण पत्र एतद्वारा आधिकृत है।

यह प्रमाणपत्र चाय वपणन (नियंत्रण) आदेश, 2003 के पैरा 4 के तहत पंजीकरण प्राधिकारों द्वारा रद्द किए जाने तक वैध बना रहेगा।

विनिर्माण इकाई का नाम :

उपाध्यक्ष, टी बोर्ड
पंजीकरण प्राधिकारी